25.05.2018 वकील उभयपक्ष उपस्थित उभपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई दौरान बहस प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करनें हेतु आनें जानें के लिये रास्ता उपलब्ध नहीं होनें से प्रार्थी की खेती प्रभावित होती है अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सबसे नजदीक है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं होनें से प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता अपनें जबाब प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि संयुक्त खाता में कुल 14.778 हैक्टर भूमि समस्त सहखातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज है एवम् भूमि का आज तक विभाजन नहीं हुआ है, संयुक्त खाता का आदिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, अप्रार्थी संख्या 14 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी.ए. का समस्त सहकाश्तकारान के मध्य सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है इस कारण जब तक उक्त वाद का निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक सयुक्त खाते की भूमि में से प्रार्थी रास्ता प्राप्त करनें का हकदार नहीं होनें से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि चक 1 एफ बड़ा के खाता संख्या 37/6 के संयुक्त खाते में कुल 14.778 हैक्टर कृषि भूमि समस्त सहखातेदारों के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। संयुक्त खाते में अप्रार्थी संख्या 1 तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 18 सह खातेदार दर्ज है किन्तु मौके पर मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 11 अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जा काश्त में है। इसलिये अप्रार्थी संख्या 2 ता 18 को केवल सहखातेदार होनें के नाते औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में भी कथन किया गया है, कि संयुक्त खाता में कुल 14.778 हैक्टर भूमि समस्त सहखातेदारों के नाम खातेदारी दर्ज है एवम् भूमि का आज तक विभाजन नहीं हुआ है, संयुक्त खाता का आदिनांक तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है, अप्रार्थी संख्या 14 के द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी.ए. का समस्त सहकाश्तकारान के मध्य सहायक कलैक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर के न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है।

चुंकि प्रार्थी और अप्रार्थीगण संयुक्त भूमि में संयुक्त खातेदार है। क्योंकि संयुक्त खाते में प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इन्च पर अपनें हिस्सा अनुसार ही हिस्सेदारी होती है। इस कारण किसी भी किला विशेष पर किसी एक काश्तकार का कब्जा नहीं माना जा सकता।

यदि किसी सहकाश्तकार को किला विशेष के लिये पृथ्क से यदि रास्ता स्वीकृत करवाया जाना हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के तहत रास्ते, खाले की सुविधा प्राप्त करनें का अधिकारी है। इस कारण प्रार्थी अपनें सहखातेदारान से संयुक्त खाते की भूमि में से किला विशेष हेतु किला विशेष में से रास्ता की मांग करनें का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अधिनियम अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होनें के कारण वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को लिखवाया जाकर न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के अन्तर्गत [illegible] में आयोजित राजस्व लोक [illegible]